कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. एस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771) 4065100 से 4065110 फैक्स : (0771) 2283594

E-mail : cgmfpfed@sancharnet.in Website : www.cgmfpfed.org

fed_raipur@cgmfpfed.org

भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 09.06.2010

संदेशवाहक के पद हेतु बैकलॉग तथा सहायक ग्रेड-3, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं वाहन चालक के निम्नांकित नियमित पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिये छ.ग. के मूल निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :-

रिक्त पदों का संवर्गवार विवरण :

क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पद	वर्गवार												विकलांग हेतु
			अनारक्षित			अ.पि.व.			अ.जा.			अ.ज.जा.			
			पु.	म.	भू.पू.सै.	पु.	म.	भू.पू.सै.	पु.	म.	भू.पू.सै.	पु.	म.	भू.पू.सै.	-
1	सहायक ग्रेड-3	12	4	2	-	1	-	-	2	-	-	2	1	-	-
2	संदेशवाहक	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	37	11	6	2	3	2	-	4	2	-	4	2	1	1 अना. 1 अ.जा.
4	वाहन चालक	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टीपः- पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।

पदवार वेतनमान :

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान
1	सहायक ग्रेड - 3	5200-20200 + ग्रेड वेतन 1900/-
2	संदेशवाहक	4750-7400 + ग्रेड वेतन 1300/-
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200 + ग्रेड वेतन 2200/-
4	वाहन चालक	5200-20200 +ग्रेड वेतन 1900/-

नोट :- उपरोक्त के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं लघु वनोपज संघ के नियमानुसार चिकित्सा सुविधा तथा यात्रा भत्ता सुविधा भी दी जावेगी ।

पदवार शैक्षणिक एवं तकनीकी (कौशल संबंधी) योग्यताऐं :

अ	**सहायक ग्रेड- 3** (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अनारक्षित एवं अ.पि.व. के लिए एवं अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए 45 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक, (2) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, (3) मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा (4) छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हो ।
ब	**संदेशवाहक** - आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
स	**डाटा एन्ट्री आपरेटर** (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक, (2) छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेशन/प्रोगामिंग में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की **"8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा"** की गति होना अनिवार्य है ।
द	**वाहन चालक - (1)** आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं वैध ड्रायविंग लायसेन्स

सहायक ग्रेड -3 एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिये डाटा एन्ट्री आपरेशन/प्रोग्रामिंग में छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो कि निम्नांकित संस्था द्वारा जारी की गई हो :-

(अ) मान्यता प्राप्त बोर्ड आर्फ टेक्निकल ऐजुकेशन /राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर सांइस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/मॉर्डन आफिस मेनेजमेन्ट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून).

(ब) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /डीम्ड यूनिवर्सिटी /मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर सांइस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.जी.डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि ।

(स) DOEACC Society "New Delhi" द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा एवं

(द) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेन्ट व्यवसाय में प्रदत्त एक वर्षीय सर्टिफिकेट ।

आयुः- दिनांक 01.07.2010 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं (विभिन्न वर्गो हेतु छूट अतिरिक्त)

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण-पत्रों एवं अंक सूचियों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों सहित लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व आवेदक की श्रेणी (अ.जा. /अ.ज.जा./अ.पि.व./अनारक्षित/महिला इत्यादि) स्पष्ट अंकित कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से कार्यालयीन समय में **दिनांक 02.07.2010** को 17.30 बजे तक **कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ए-25 व्ही.आई.पी. एस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर** में प्राप्त हो जाना

चाहिये । विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । ई-मेल से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

(1) सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु कम्प्यूटर पर प्रायोगिक दक्षता/कौशल परीक्षा तथा मूल अभिलेखों के परीक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 15.07.2010 को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी ।

(2) बैंकलाग भर्ती के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के संदेशवाहक के पद हेतु मूल अभिलेखों का परीक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 16.07.2010 को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी ।

(3) डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 26.07.2010 को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी । लिखित परीक्षा कम्प्यूटर से संबंधी विषयों पर आधारित होगी । लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर कार्य हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा में उपस्थित होना होगा ।

(4) वाहन चालक के पद हेतु प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा (वाहन संचालन) तथा मूल अभिलेखों का परीक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 20.07.2010 को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी ।

किसी भी पद हेतु पृथक से डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी । आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी (नियम व शर्तो) तथा संशोधनों के लिये उपरोक्तानुसार वेब-साईट का अनिवार्य रूप से नियमित अवलोकन करें ।

प्रबंध संचालक

भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 09.06.2010 से संबंधित नियम व शर्तें

(1) आवेदन पत्र संघ के वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रविष्टियां सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

(2) प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार से देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा । गलत जाति प्रमाण पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति संबंधी गलत जानकारी भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी संघ चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा ।

(3) आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं । मूल निवासी प्रमाण-पत्र की राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(4) पद हेतु आयु सीमा

अ. उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.07.2010 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो ।

ब. निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट मिलेगी ।

(क) अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट ।

(ख) महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट ।

(ग) आदिमजाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

(ड) योग्य अपंग उम्मीदवार के लिये 10 वर्ष ।

(च) भूतपूर्व सैनिक जिसने कम से कम 6 माह निरन्तर सेवा की हो, उसे अपनी वास्तविक आयु में से की गई सेवा अवधि घटाने के बाद जो आयु निकलेगी वह निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

(छ) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार अथवा गुण्डाधर सम्मान अथवा महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव सम्मान अथवा राष्ट्रीय युवा व्यक्तियों पुरस्कार अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के

आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जायेगी, ग्रीन कार्ड अथवा अंतर्जातीय विवाह के निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हो तो उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए दो वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतर्जातीय विवार के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी, समस्त छूट के पश्चात उम्मीदवार की आयु अर्द्धवार्षिकी पूर्ण न करता हो ।

(5) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र - छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडल राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपक्रम की सेल में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सीधे भेज सकते हैं परन्तु इसके पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे संघ को 1 माह में भेजने के लिए निवेदन कर देना चाहिए जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्त प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय संघ को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् यदि संघ को 1 माह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संघ द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं हैं ।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा, जो निम्न में से कोई हो :-

(अ) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो । ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जावे कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है ।

(ब) जो शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं पाया जाए ।

(स) जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे ।

(द) जिनकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो ।

(7) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।

(ii) जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र ।

(iii) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया हैं, के अंक सूचियों की प्रतिलिपियाँ ।

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी) । रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करना अनिवार्य हैं ।

(v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी का जाति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें, विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा, अस्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के भीतर की अवधि का ही मान्य किया जावेगा ।

(vi) विज्ञप्ति में पदानुसार चाहे गये अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति ।

(8) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा केवल रायपुर में आयोजित की जावेगी ।

(9) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु बुलाये गये छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थानीय निवासी को जो कहीं सेवारत न हो एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का आवेदक है, को प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में सम्मिलित होने पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व दिया जायेगा, जिसके लिए वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

(10) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर में आने वाले आवेदक को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नही मिलेगा ।

(11) विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है ।

(12) आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । चयन के किसी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी ।

(13) चयन प्रक्रिया :-

(i) योग्य उम्मीदवारों का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा ।

(ii) सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु कम्प्यूटर पर आयोजित प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा तथा मूल अभिलेखों के परीक्षण की सूचना कार्यालयीन वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी । वाणिज्य स्नातक के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंक तथा प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के 50 अंक । चयन कुल प्राप्तांकों के आधार पर होगा ।

(iii) संदेशवाहक के पद हेतु मूल अभिलेखों की परीक्षण की सूचना कार्यालयीन वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी ।

(iv) डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद हेतु कम्प्यूटर सम्बन्धी विषयों पर आयोजित लिखित परीक्षा हेतु एवं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची एवं कम्प्यूटर पर प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा तथा मूल अभिलेखों के परीक्षण की सूचना कार्यालयीन वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी । लिखित परीक्षा के 40 अंक, प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के 60 अंक के अंक होंगे । चयन कुल प्राप्तांकों के आधार पर होगा ।

(v) वाहन चालक के पद हेतु प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा एवं मूल अभिलेखों की परीक्षण की सूचना कार्यालयीन वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी । चयन प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा (वाहन संचालन) में प्राप्तांक के आधार पर होगा ।

(vi) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर द्वारा कराया जायेगा । प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवारी/परीक्षा परिव्यय/चयन निरस्त किया जा सकेगा ।

(vii) परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अपात्र माना जावेगा ।

(viii) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरिष्ठता प्रदान की जावेगी ।

(14) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को होगा ।

(15) चयनित उम्मीदवार को चयन उपरांत/कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(16) चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जायेगा, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।

(17) यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

(18) चयनित उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मुख्यालय, रायपुर तथा राज्य के किसी भी जिला वनोपज सहकारी यूनियन कार्यालय में की जा सकती है ।

(19) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 1 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी एवं चयनित उम्मीदवारों को विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(20) सेवाकाल के दौरान नियुक्त नियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ कर्मचारी भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवाशर्तें नियम 1994 से शासित होंगे ।

(21) सेवा के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्ति की जा सकती है.

(22) इस सूचना के संशोधन हेतु समय-समय पर इस वेब साईट का अवलोकन करते रहे ।

प्रबंध संचालक